न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 188/22 निर्णय दिनांक– 09-04-26
(जीसीएमएस संख्या 2022/353)

1. रामप्रताप पुत्र रामरख जाति बिश्नोई निवासी सलुडीया तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मांगी देवी पत्नी स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. चम्पालाल पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. शिवरतन पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. राजूराम पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. मगाराम पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. मनोहरी पुत्री स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. संतोष पुत्री स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 128/21 निर्णय दिनांक –
(जीसीएमएस संख्या 2021/254)

1. सोना पत्नी श्री रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. रामेश्वरलाल पुत्र रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. सुरेश पुत्र रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. चावली पत्नी श्री प्रभूराम बिश्नोई पुत्री रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 पी.बी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
5. बली देवी पत्नी मनफुल बिश्नोई रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी गॉव रोटू तहसील जायल जिला नागौर
6. गोमती पत्नी श्री शंकरलाल बिश्नोई पुत्री रेडाराम जाति बिश्नोई निवासी गॉव रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर

—अपीलांट्

—बनाम—

1. मांगी देवी पत्नी स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. चम्पालाल पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. शिवरतन पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. राजूराम पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. मगाराम पुत्र स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. मनोहरी पुत्री स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. संतोष पुत्री स्व गोपीराम उर्फ गोपीकिशन जाति नाई निवासी गजसुखदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरूद्व आज्ञा दिनांक 16—04—2018
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितिः—

1. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक अपीलांट् अपील संख्या 188/2022
2. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 128/2021

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. श्री हरीराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4
4. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 16–04–2018 जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही कॉमन निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट (अपील संख्या 188/2022) ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 655–500 आरडी के मुरब्बा नम्बर 14/23 के किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9, 12 ता 14, 16 ता 18, 24, 25 की 13 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 15/17 के किला नम्बर 19 की 1 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 3 ता 8, 14, 15, 20 ता 25 तादादी 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को बतौर डबल आवंटन किया गया है। जबकि उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 15/17 के किला नम्बर 1, 2, 9 ता 13, 16 ता 17 की भूमि अपीलांट् रामप्रताप को आवंटित भूमि रही है तथा इसी मुरब्बें की रेस्पोडेन्ट्स को आवंटित भूमि का वह बतौर मिडियम पेच आवंटन करने का अधिकारी होने से उक्त भूमि शुद्व रूप से आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है।

उन्होंने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट का प्रकरण दोहरे आवंटन से संबंधित होने के कारण आवंटन विनिमय कमेटी द्वारा ही किया जा सकता था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन प्रकरण को विनिमय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना ही न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किये गये आदेश को आधार बनाते हुए आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को विधि विरूद्व तरीके से व आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए किया गया है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2003 पेज 208 का उल्लेख किया।

अभिभाषक अपीलांट्स (अपील संख्या 128/2024) ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। रेस्पोडेन्ट के पिता/पति गोपीराम का पूर्व आवंटन खारिज हो चुका था जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा गलत आधार व गलत तरीके से उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन की प्रकिया का पालन नही किया गया। आवंटन का आधार ही गलत है। रेस्पोडेन्ट का प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति में पेश होना तथा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 22–12–2017 की अनुपालना में अन्यत्र भूमि आवंटन कराने का जो अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया है वह जरिये अभिभाषक है। अभिभाषक का कोई वकालतनामा प्रस्तुत नही किया गया है ना ही आवंटी के हस्ताक्षर अंकित है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का आवेदन लंबित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी का मीडियम पेच में आवंटन किया जाता तो सरकार अधिक राजस्व की प्राप्ति होती। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुॅचाने की गर्ज से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व मौके की स्थिति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है, यदि तत्समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती तो यह स्थिति स्वमेव न्यायालय के समक्ष आ जाती कि उक्त मुरब्बे में अपीलांट् को आवंटित भूमि है तथा अपीलांट् का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। आवंटन नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान निहित है कि कोई भी आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय के बिना अर्थात

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सलाहकार समिति के अनुमोदन के बिना नहीं किया जा सकता है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व प्रकरण को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार आवंटन प्रकिया स्वमेव दुषित प्रकिया है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन करते हुए आवंटन पट्टा जारी किया गया है। जिसमें गोपीराम उर्फ गोपीकिशन पुत्र नानूराम अंकित किया गया है। जबकि पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में कहीं भी गोपीराम उर्फ गोपीकिशन का अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई जॉच की गई हो, का भी कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–12–2017 को संबंधित तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु अभिलिखित किया जाना परिलक्षित होता है, परन्तु उक्त रकबे के संबंध में तहसीलदार द्वारा कोई रिपोर्ट प्रेषित किये बिना ही वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व रेस्पोडेन्ट्स के धारण की भूमि की जॉच भी नहीं की गई है कि क्या वह आज दिनांक को भूमिहीन श्रेणी का काश्तकार है भी अथवा नहीं? इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को किया गया आवंटन विधि विरूद्व होना व अपीलांट्स के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होने के कारण अपीलांट्स की अपीलें स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉ प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉ मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपीलें में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपीलें अन्दर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन श्रेणी में चक 12–13 एडी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के मुरब्बा नम्बर 13/46 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 272/2017 पेश किये जाने पर उक्त अपील दिनांक 25–10–2017 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए नियमानुसार पात्रता की जॉच करते हुए उसी किस्म की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को किया गया है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर का आवंटन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसरण में किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मौके पर ही वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया को अपनाये जाने के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स को किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांटस् का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वर्तमान में आराजी जैर रेस्पोडेन्ट्स के कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट्स के आवंटन को बहाल रखा जावे।

मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के करीब 03 वर्ष उपरान्त उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में मियाद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है, वह 03 वर्ष के विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के युक्तियुक्त कारण नहीं होने से अपीलांट्स की अपीलें मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–04–2018 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

संख्या 128/21 दिनांक 01–11–2021 व अपील संख्या 188/2022 दिनांक 21–10–2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत मामलें में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता द्वारा बतौर भूमिहीन श्रेणी में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 12–13 एडी के मुरब्बा नम्बर 13/46 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि पूर्व से अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण 25–10–2017 को इस आधार पर पुनः प्रतिप्रेषित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नियमानुसार पात्रता की जॉच करते हुए उसी किस्म की अन्यत्र भूमि आवंटन की कार्यवाही की जावे।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर पूर्व में आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त करते हुए अपीलाधीन आदेश के माध्यम से चक 655–500 आरडी के मुरब्बा नम्बर 14/23 के किला नम्बर 1 ता 3, 8, 9, 12 ता 14, 16 ता 18, 24, 25 की 13 बीघा अनकमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 15/17 के किला नम्बर 19 की 1 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 3 ता 8, 14, 15, 20 ता 25 तादादी 14 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पति/पिता को आवंटन किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त करने की मांग की गई है।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमि में हितबद्धता का आधार यह लिया गया है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट को मीडियम पेच के रूप में आवंटन योग्य थी। यदि यह भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित नही की जाती

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तो अपीलांट को मीडियम पेच में आवंटित होती। जबकि अपीलांट द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित हो कि अपीलांट द्वारा इस भूमि को मीडियम पेच में आवंटित करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हो। इस स्थिति में अपीलाधीन आवंटन आदेश के वक्त प्रश्नगत भूमि आराजीराज भूमि थी। जिसके संबंध में अपीलांट का कोई आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित नही था। इस सूरत में अपीलांट का अपीलाधीन भूमि में हितबद्धता किस प्रकार निहित है, यह साबित करने में अपीलांट असफल रहा।

अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत आवंटन प्रकिया अपनाई गई है। अपीलांट द्वारा अपील में यह नही बताया गया कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के हित किस प्रकार प्रभावित होते है। अपीलांट का इस भूमि से क्या संबंध है? अपीलांट किस प्रकार व्यथित पक्षकार है?

यदि अपीलाधीन आदेश पारित करने में गलत आवंटन प्रकिया अपनाई गई है अथवा अपीलाधीन आवंटन में प्रकियात्मक त्रुटि रही है तो अपीलांट इसकी पृथक रूप से शिकायत कर सकता है। साथ ही न्यायालय जिला कलेक्टर, बीकानेर में धारा 22(3) की कार्यवाही के जरिये इस आवंटन को निरस्त करवाने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है, परन्तु हस्तगत अपील के जरिये कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की दोनों अपीलें खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार, पूगल को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन आवंटन का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 09-04-26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर